रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 1980/वैशाख 23, 1902
No. 84] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 1980/VAISAKHA 23, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 मई, 1980

सं. 3/4/ए/80-सी. एच. सी.—ऐसी धारणा विद्यमान है कि केन्द्र और राज्य, दोनों सरकारों की विभिन्न वित्तीय नीतियों का लाभ अल्प संख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों तक वास्तविक रूप से नहीं पहुंच रहा है । भारत सरकार इस बात को बहुत महत्व देती है कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रेरणाओं, सुविधाओं और लाइसेंस, कोटा, ऋण आदि जैसे अन्य प्रोत्साहनों तथा अधिकारों का पूरा-पूरा लाभ उन्हें मिले ।

2. अतः भारत सरकार ने समग्र प्रश्न पर विचार करने और सिफारिशें देने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त समिति स्थापित करने का संकल्प किया है ।

3. इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति में निम्नलिखित होंगे :—

1. डा. सैयद मोहम्मद — अध्यक्ष
2. श्री एल. बुल्लैया
3. श्री होकिंश सेमा
4. श्री अरविन्द नेतम
5. श्री एन. सी. प्राशर
6. डा. गोपाल सिंह
7. श्री आई. डी. जवाहूराज
8. श्री खुरशीद आलम खान — सदस्य-सचिव

4. उच्च शक्ति प्राप्त समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(1) यह मालूम करना कि क्या केन्द्र और राज्यों दोनों सरकारों की वित्तीय नीतियों के लाभ वास्तव में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को पहुंच रहे हैं ;

(2) उन अड़चनों या रुकावटों का पता लगाना जिन की वजह से वे प्रेरणाओं, सुविधाओं और अन्य प्रोत्साहनों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं ;

(3) ऐसे उपाय सुझाना जिनके जरिये विभिन्न वित्तीय नीतियों, प्रेरणाओं, सुविधाओं और अन्य प्रोत्साहनों के लाभ उन तक पहुंच सकें ;

(4) अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिशें करना ।

5. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

6. समिति अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपनी क्रियाविधि स्वयं निर्धारित करेगी । भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग समिति को वह सारी सूचना, कागजात और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे जिसकी उसे आवश्यकता होगी । भारत सरकार का विश्वास है कि राज्य सरकारें, संघ शासित क्षेत्र प्रशासन और अन्य सभी संबंधित समिति को अपना पूरा सहयोग और सहायता देंगे ।

7. समिति भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट 3 महीने की अवधि में प्रस्तुत करेगी ।

ज्योतिष पांडेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 10th May, 1980

No. 3/4/A/80-CHC.—A feeling persists that the benefits of the various fiscal policies of Governments, both Union and States, do not really reach the minorities, scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections of the society. The Government of India attaches the highest importance that incentives, facilities and other encouragements, entitlements like licenses, quotas, loans etc. are fully availed of by them, in order to improve their economic condition.

2. The Government of India has therefore, resolved to set up a High Power Panel to go into the whole question and make recommendations.

3. The High Power Panel will consist of the following :—

1. Dr. Seyid Mohammad, Chairman
2. Shri L. Bulliah
3. Shri Hokishe Sema
4. Shri Arvind Netam
5. Shri N. C. Prasher
6. Dr. Gopal Singh
7. Shri I. D. Jawaharaj
8. Shri Khurshid Alam Khan, Member-Secretary.

4. The High Power Panel will be entrusted with the following functions :—

(i) To ascertain if the benefits of various fiscal policies of Government, both Union and States, really reach the minorities, scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections of society ;

(ii) To identify the constraints or bottlenecks whereby incentives, facilities and other encouragements are not being fully availed of by them ;

(iii) To suggest ways and means by which the benefits of various fiscal policies, incentives, facilities and other encouragements reach them ;

(iv) To make recommendations with regard to other allied matters.

5. The headquarters of the Panel will be located at Delhi.

6. The Panel will devise its own procedures in the discharge of its functions All the Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and provide such assistance as may be required by the Panel. The Government of India trusts that the State Governments and Union Territory Administrations and others concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Panel.

7. The Panel will submit its report to the Government of India within a period of 3 months.

J. C. PANDEY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.